बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

5 जुलाई, 2012

अधिसूचना संख्या– 5350 , दिनांक–05 जुलाई, 2012–बिहार मुल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 41 के उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अधीन किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से राज्य के बाहर से माल मंगाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं:–

2 **राज्य के बाहर से माल का आयात**– (1) इस हेतु आयातक व्यवसायी को विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर उनके User Id एवं Password के माध्यम से Login किया जाएगा। ऐसे व्यवसायी जो वर्त्तमान में ई सेवाओं हेतु निबंधित नहीं है उन्हें राज्य के बाहर से माल मंगवाए जाने हेतु सर्वप्रथम विभागीय वेबसाईट पर ई सेवाओं हेतु पंजीयन प्राप्त करना होगा। इस हेतु ऐसे व्यवसायियों को ई–सर्विसेज के अधीन "new user" को click करते हुए स्क्रीन पर खुलनेवाले आवेदन को भरा जाना होगा। इस आवेदन को भरे जाने के क्रम में ऐसे व्यवसायियों को अपने Password का चयन स्वयं किया जाना होगा एवं इस Password को उन्हें सुरक्षा से संरक्षित रखा जाना होगा।

(2) इसके पश्चात् आयातक व्यवसायी द्वारा विभागीय वेबसाईट पर ''सुविधा'' Icon को Click करते हुए अपने User Id तथा Password से login किया जायेगा।

(3) Login के उपरांत खुलनेवाले फारम को व्यवसायी द्वारा भरा जाना होगा। इन सूचनाओं के भरे जाने के उपरांत Submit Button को Click किया जाना होगा एवं इसके साथ ही उक्त सूचनायें स्वतः विभागीय वेबसाईट/डाटाबेस में अपलोड हो जायेंगी।

(4)(क) सूचना अपलोड होते ही एक पावती रसीद सिस्टम द्वारा जेनेरेट होगी जिस पर 16 अंको की विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या अंकित होगी। इस पावती का प्रिंट आउट व्यवसायी द्वारा लिया जा सकेगा एवं प्रिंट आउट नहीं लिए जाने की दशा में उक्त संख्या व्यवसायी द्वारा वाहन के चालक अथवा उनके परिवहनकर्त्ता को उपलब्ध करवाई जानी होगी।

(ख) संप्रेषण के संदर्भ में सूचना अपलोड किए जाने में किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा 16 अंकों की उक्त संख्या सृजित होने के उपरांत त्रुटि का पता चलने की दशा में आवेदन को, अथवा सृजित की गई संख्या को, व्यवसायी द्वारा सिस्टम में उपलब्ध विकल्प के अनुसार रद्द किया जा सकेगा।

(ग) अद्यतन विवरणी दाखिल करने अथवा विवरणी के अनुसार स्वीकृत कर के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में उक्त 16 अंको की पहचान संख्या सिस्टम द्वारा जेनेरेट नहीं की जायेगी।

(5) राज्य में प्रविष्टि के जाँच चौकी पर ट्रक में लदे सभी सम्प्रेषणों से संबंधित 16 अंको की उक्त विशिष्ट पहचान संख्या चालक द्वारा जाँच चौकी पर नियम 41 में यथानिर्दिष्ट अनुश्रवण प्राधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा एवं इस संख्या को उक्त प्राधिकारी द्वारा सिस्टम में प्रविष्ट किया जायेगा।

(6) खंड (5) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा उक्त संख्या को कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया जाएगा एवं प्रविष्टि के उपरांत ट्रक में लदे उक्त सम्प्रेषण से संबंधित पूर्व में अपलोड की गई सारी सूचनाएँ अवलोकन हेतु

स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। जाँच चौकी पर इसके सत्यापन के उपरांत ट्रक को आगे परिवहन की अनुज्ञा दी जायेगी एवं यह तथ्य भी कम्प्यूटर में प्रविष्ट होगा।

(7) किसी विभागीय अधिसूचना के आलोक में ऐसे सम्प्रेषण जिसके परिवहन हेतु इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या अपेक्षित हो के संदर्भ में ऐसी संख्या प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा खंड (6) में उल्लेखित सत्यापन के क्रम में अनुश्रवण प्राधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की गई सूचना में किसी अनियमितता पाये जाने की दशा में अनुश्रवण प्राधिकारी द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 61 के साथ पठित अधिनियम की धारा 56 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(8) नियम 41 में यथानिर्दिष्ट मार्गस्थ किसी अनुश्रवण प्राधिकारी द्वारा जाँच के क्रम में वाहन के चालक अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति द्वारा 16 अंको की इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या उक्त प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी। मार्गस्थ जाँच के क्रम में खंड (7) एवं खंड (8) के प्रावधान, आवश्यक संशोधनों सहित, लागू होंगे।

3. वैधता– (1) कंडिका 2 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या विभागीय कम्प्यूटर में प्रथम बार प्रविष्ट होने के पश्चात् निष्क्रिय हो जायेगी।

(2) कंडिका 2 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित दूरियों के परिवहन हेतु तालिका के अनुषांगिक स्तम्भ (3) में उल्लेखित अवधि हेतु वैध होगी–

तालिका

क्रमांक	संप्रेषण के उद्गम से गंतव्य तक की दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1	100 किलोमीटर से कम	120 घंटे
2	101 किलोमीटर से अधिक परंतु 500 किलोमीटर से कम	240 घंटे
3	501 किलोमीटर से अधिक परंतु 1000 किलोमीटर से कम	288 घंटे
4	1001 किलोमीटर से अधिक परंतु 2000 किलोमीटर से कम	360 घंटे
5	2001 किलोमीटर से अधिक परंतु 3000 किलोमीटर से कम	480 घंटे
6	3000 किलोमीटर से अधिक	600 घंटे

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

(सुधीर कुमार)
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

Tax./D:/TRU-Total/sanlekh-214

ज्ञापांक–बिक्री–कर / विविध–43 / 2011 / –5312 5350 दिनांक–04.07.2012

प्रतिलिपि–उप–सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुये विभाग को 500 प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–बिक्री–कर / विविध–43 / 2011 / –5312 5350 दिनांक–04.07.2012

प्रतिलिपि–सभी वाणिज्य–कर अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त (प्रशासन / अपील / अंकेक्षण), सभी अंचल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–बिक्री–कर / विविध–43 / 2011 / –5312 5350 दिनांक–04.07.2012

प्रतिलिपि–सचिव, वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना / सचिव, बार एसोसिएशन, वाणिज्य–कर भवन, पटना / सचिव, वाणिज्य–कर संघ, वाणिज्य–कर भवन, मुजफ्फरपुर / बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना / बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / सचिव, फूड ट्रेड यूनियन, पटना, एक्जीविशन रोड, पटना / महासचिव, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज शुजागंज, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

Tax./D:/TRU-Total/sanlekh-215